

प्रारूप-छ (संलग्नक-6) अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/90427/GKP/GORAKHPUR/1084/CFO

दिनांक: 25-07-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **OXFORD PUBLIC SCHOOL A UNIT VEENA GRAMODHYOG SEWA SAMITI** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम)पता **163,162, AND 172 MOH-KAZAKPUR, TEHSIL-SADAR, KAZAKPUR, GORAKHPUR** तहसील - **SADAR**, प्लाट एरिया **5230.44 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **4933.07** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	वेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
OXFORD PUBLIC SCHOOL A UNIT VEENA GRAMODHYOG SEWA SAMITI	3	0	12.19 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **OXFORD PUBLIC SCHOOL A UNIT VEENA GRAMODHYOG SEWA SAMITI** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एनओबीओसीओ एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आईओएसओ के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **27-07-2023** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **ANIL KUMAR RAI** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयीं। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एनओबीओसीओ की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **28-07-2023** से **27-07-2026** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयीं अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **OXFORD PUBLIC SCHOOL A UNIT VEENA GRAMODHYOG SEWA SAMITI** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **OXFORD PUBLIC SCHOOL A UNIT VEENA GRAMODHYOG SEWA SAMITI** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : पूर्व में सीओएफओओश्रीडीओकेओसिंह द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र वफ़सओकी संस्तुति के आधार पर निम्न उपबन्धों के अधीन निर्गत है

- 1-अर्ह अभिकर्ता /अग्निशमन अभियन्ता से 2 वर्ष में न्यूनतम 1-बार फायर आडिट तथा वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर इस विभाग को प्रेषित करें
- 2- नियत प्राधिकारी द्वारा भवन के स्वीकृत कराये गये मानचित्र के अनुसार समस्त प्रावधान रखना बांछनीय होगा।।
- 3-सुरक्षा मानकों को अवहेलना करने पर आप स्वयं उत्तरदायी होंगे
- 4-अतिरिक्त भवन अधिभोग/निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृति ली जाये
- 5-FSOसमय-समय पर माकडिल में प्रतिभाग कर निरीक्षण करते रहे
- 6-शाओ संख्या-187/छ-पुओ-8-2022/905(34)/2016टीओसीओदिनांक 07.01.2022 केअनुओनिर्गत है

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(JASVEER SINGH)

{89CE3FD44E1570902F78776FE92F58F4E0B3D2E7}

28-07-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 28-07-2023
स्थान : GORAKHPUR